

उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय
1-राजविहार चकरातारोड़, देहरादून।

पत्र सं. 1082 / एच0क्यू0 / संचालन-किराया / चार्टड बस / 2013 दिनांक: 16 जुलाई-2013

- 1-समस्त मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन)
 - 2-समस्त मण्डलीय प्रबन्धक(तकनीकी)
 - 3-समस्त सहायक महाप्रबन्धक(वित्त)
 - 4-समस्त सहायक महाप्रबन्धक(संचालन)
- उत्तराखण्ड परिवहन निगम डिपो।

विषय:-उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों को शादी/ब्याह एवं अन्य कार्य हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में किराया निर्धारण।

उपर्युक्त विषयक कृपया निगम मुख्यालय के पत्र संख्या 1080, दिनांक 15 जुलाई, 2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निगम बसों के किराया में वृद्धि के फलस्वरूप उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा ठेका गाडियों की किराया दरों को दिनांक:11-07-2013 से संशोधित करने का उल्लेख किया गया है।

अतः उक्त में आंशिक संशोधन करने हुये ठेका गाडियों की संशोधित किराये की दरों को निगम में किराये की वृद्धि की दिनांक 11 मई, 2013 के बाद से लागू किया जाय।

(मुकेश सिंह)

उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)
निगम मुख्यालय।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1-वैयक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम को महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- 2-समस्त अधिकारी निगम मुख्यालय। A-G.M (0)
- 3-प्रभारी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, निगम मुख्यालय देहरादून।

उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)
निगम मुख्यालय।

S. S. Srivastava

10.7.2013